http://krishipravahika.vitalbiotech.org/

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2026) वर्ष 6, अंक 8, 1-6

Article ID:635

भारत में कृषि बीमा: सरकारी पहल, नवाचार एवं भविष्य की दिशा

डॉ. किरण एन. पटेल[1], डॉ. स्वाति एस. शर्मा[2]

[1]सहायक प्राध्यापक
ए.एस.पी.ई.ई. एग्रीबिजनेस प्रबंधन संस्थान
नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी – गुजरात

[2]प्रोफेसर
ए.एस.पी.ई.ई. एग्रीबिजनेस प्रबंधन संस्थान
नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी – गुजरात

*अनुरूपी लेखक
डॉ. किरण एन. पटेल*

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की लगभग आधी जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। किन्तु यह क्षेत्र अनेक प्रकार के जोखिमों से अत्यधिक प्रभावित होता है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम, कीट एवं रोगों का प्रकोप, बाजार में मूल्य उतार-चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाएँ तथा कृषि आदानों की बढ़ती लागत प्रमुख हैं। ये सभी अनिश्चितताएँ किसानों की आय में भारी कमी का कारण बनती हैं तथा कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।

ऐसी परिस्थितियों में कृषि बीमा एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन साधन के रूप में उभरा है, जो किसानों को अप्रत्याशित परिस्थितियों से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे किसान अपनी क्षति की भरपाई कर पुनः कृषि कार्य प्रारम्भ करने में सक्षम होते हैं। समय के साथ भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत सुधारों, सरकारी योजनाओं, तकनीकी नवाचारों तथा डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से कृषि बीमा की एक व्यापक एवं सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की है।

यह लेख भारत में कृषि बीमा के विकास, प्रमुख सरकारी योजनाओं, उभरते हुए डिजिटल नवाचारों तथा भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। साथ ही, GramCover जैसे इंश्योरटेक (InsurTech) समाधानों की भूमिका को भी रेखांकित करता है, जो कृषि बीमा को अधिक समावेशी, पारदर्शी तथा किसान-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

भारत में कृषि जोखिम

भारतीय कृषि उत्पादन, जलवायु, जैविक तथा आर्थिक जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रभावित होती है, जो किसानों की आजीविका तथा कृषि की स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। ये परस्पर जुड़े हुए जोखिम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यापक कृषि बीमा एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कृषि का सतत विकास तथा किसानों की आजीविका सुरक्षित रह सके।

भारतीय कृषि के प्रमुख जोखिम

भारतीय कृषि अनेक प्रकार के प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी एवं संस्थागत जोखिमों से प्रभावित होती है। प्रमुख जोखिमों में जलवायु संबंधी जोखिम (सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं असमय वर्षा), मौसम की अनिश्चितता, कीट एवं रोगों का प्रकोप, बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव, उत्पादन एवं कृषि आदानों की बढ़ती लागत, कटाई उपरांत हानि, वित्तीय समस्याएँ, पशुधन एवं मत्स्य पालन संबंधी जोखिम, नीतिगत एवं संस्थागत परिवर्तन, तथा भूकंप एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता कृषि उत्पादकता तथा

किसानों की आय को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इसलिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कृषि बीमा, आधुनिक तकनीकों तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में फसल बीमा का विकास

भारत में फसल बीमा का विकास पिछले लगभग सात दशकों में निरंतर हुआ है। यह यात्रा प्रारम्भिक प्रयोगात्मक योजनाओं से शुरू होकर आज एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित (Technology-driven) जोखिम प्रबंधन प्रणाली के रूप में विकसित हो चुकी है। वर्तमान में भारत की फसल बीमा व्यवस्था डिजिटल तकनीकों, जलवायु-अनुकूल (Climate-resilient) दृष्टिकोण तथा किसान-केंद्रित (Farmer-centric) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की ओर अग्रसर है, जिससे अधिक पारदर्शिता, व्यापक कवरेज तथा समयबद्ध क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके प्रमुख विकास चरण निम्नलिखित हैं

- **1947–1971:** भारत में फसल बीमा की आवश्यकता पर प्रारम्भिक विचार-विमर्श एवं अनुसंधान किया गया तथा विभिन्न वैचारिक बीमा मॉडल विकसित किए गए।
- **1972–1978:** प्रथम फसल बीमा योजना (First Crop Insurance Scheme–FCIS) का प्रयोगात्मक आधार पर शुभारम्भ किया गया।
- **1979–1984:** बीमा कवरेज का विस्तार करने हेतु पायलट फसल बीमा योजना (Pilot Crop Insurance Scheme–PCIS) प्रारम्भ की गई।
- **1985–1999:** व्यापक फसल बीमा योजना (Comprehensive Crop Insurance Scheme–CCIS) लागू की गई, जिसमें संस्थागत कृषि ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को शामिल किया गया।
- **1999–2011:** राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme–NAIS) प्रारम्भ की गई, जिसके अंतर्गत अधिक फसलों एवं अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई।
- **2007–2015:** मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Weather Based Crop Insurance Scheme–WBCIS) शुरू की गई, जिसके अंतर्गत मौसम संबंधी मानकों के आधार पर शीघ्र क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई।
- **2011–2015:** संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (Modified National Agricultural Insurance Scheme–MNAIS) लागू की गई, जिसमें बीमा कवरेज एवं दावा निपटान प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया।
- **2016:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana–PMFBY) प्रारम्भ की गई, जिसने NAIS एवं MNAIS का स्थान लिया तथा कम प्रीमियम पर व्यापक जोखिम कवरेज उपलब्ध कराया।
- 2016–वर्तमान: पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme–RWBCIS) का विस्तार किया गया तथा सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रिमोट सेंसिंग, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP), CROPIC तथा WINDS जैसी उन्नत तकनीकों को फसल निगरानी एवं त्वरित दावा निपटान के लिए एकीकृत किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): प्रमुख विशेषताएँ एवं कवरेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना है, जिसे 18 फरवरी 2016 को प्रारम्भ किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीटों एवं रोगों से होने वाली फसल हानि के विरुद्ध व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना खाद्यान्न फसलों, तिलहन, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है तथा किसानों के लिए अत्यंत कम प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराती है। शेष प्रीमियम का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें वहन करती हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों की आर्थिक असुरक्षा को कम करने, आधुनिक कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने, समयबद्ध मुआवजा उपलब्ध कराने तथा जलवायु परिवर्तन एवं मौसम संबंधी जोखिमों के प्रति कृषि क्षेत्र की सहनशीलता (Resilience) को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रमुख विशेषताएँ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा वर्ष **2016** में प्रारम्भ की गई एक प्रमुख फसल बीमा योजना है, जिसने **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)** एवं **संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)** का स्थान लिया। यह योजना **खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों** को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों के लिए प्रीमियम दरें अत्यंत कम रखी गई हैं, जिनमें **खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5%** प्रीमियम निर्धारित है, जबकि शेष प्रीमियम का वहन केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करती हैं। योजना में उपज का आकलन मुख्यतः **क्षेत्र आधारित (Area Approach)** पद्धति से किया जाता है तथा स्थानीयकृत आपदाओं एवं कटाई उपरांत क्षति के मामलों में व्यक्तिगत खेत स्तर पर मूल्यांकन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, **नकदरहित, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित दावा निपटान प्रणाली** अपनाई गई है, जिसमें **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, GPS, रिमोट सेंसिंग, CROPIC तथा WINDS** जैसी आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग फसल निगरानी एवं क्षति आकलन के लिए किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत कवरेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल उत्पादन चक्र के प्रत्येक चरण में व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के जोखिमों को शामिल किया गया है

- **बुवाई/अंकुरण न हो पाना (Prevented Sowing/Germination):** प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण यदि किसान फसल की बुवाई या अंकुरण नहीं कर पाता है, तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- **खड़ी फसल (मध्यावधि प्रतिकूल परिस्थितियाँ) [Standing Crop (Mid-Season Adversity)]:** सूखा, बाढ़, चक्रवात, कीट एवं रोग प्रकोप तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण खड़ी फसल की उपज में होने वाली हानि को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- **स्थानीयकृत प्राकृतिक आपदाएँ (Localized Calamities):** ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव (Inundation), बादल फटना (Cloudburst) तथा अन्य स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्तिगत खेतों में होने वाली फसल क्षति को योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है।
- **कटाई उपरांत हानि (Post-Harvest Losses):** कटाई के बाद खेत में रखी गई फसल यदि चक्रवात, असामयिक वर्षा, तूफान अथवा इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक घटनाओं से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कटाई के 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध रहती है।

कृषि बीमा में डिजिटल परिवर्तन

भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ कृषि बीमा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। इन तकनीकों के माध्यम से बीमा सेवाएँ अधिक पारदर्शी, सटीक, प्रभावी तथा किसान-अनुकूल बन रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, मौसम विश्लेषण तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के एकीकरण से किसान पंजीकरण, फसल निगरानी, क्षति आकलन एवं दावा निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन नवाचारों ने मैनुअल हस्तक्षेप को कम किया है,

पारदर्शिता बढ़ाई है, विवादों को घटाया है तथा किसानों तक बीमा लाभों की समयबद्ध पहुँच सुनिश्चित की है। परिणामस्वरूप, कृषि बीमा एक तेज, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित जोखिम प्रबंधन प्रणाली के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे किसानों का विश्वास बढ़ा है तथा भारत में फसल बीमा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कृषि बीमा में प्रमुख डिजिटल पहल

- **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (National Crop Insurance Portal–NCIP):** किसानों के पंजीकरण, प्रीमियम भुगतान, पॉलिसी प्रबंधन, दावा निपटान तथा फसल बीमा योजनाओं की निगरानी हेतु एकीकृत डिजिटल मंच।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence–AI):** AI आधारित विश्लेषण के माध्यम से फसल उत्पादन का पूर्वानुमान, जोखिम आकलन, धोखाधड़ी की पहचान तथा दावों का त्वरित सत्यापन किया जाता है।
- **ड्रोन प्रौद्योगिकी (Drone Technology):** उच्च गुणवत्ता वाली हवाई तस्वीरों के माध्यम से फसल क्षति का शीघ्र एवं सटीक आकलन किया जाता है, जिससे मैनुअल निरीक्षण पर निर्भरता कम होती है।
- **सैटेलाइट इमेजरी एवं रिमोट सेंसिंग (Satellite Imagery and Remote Sensing):** बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फसल वृद्धि, क्षेत्रफल, वनस्पति स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव की निरंतर निगरानी की जाती है।
- **CROPIC (Collection of Real-Time Observations & Photo of Crops):** यह मोबाइल एप्लीकेशन फसल की विभिन्न वृद्धि अवस्थाओं में जियो-टैग्ड (Geo-tagged) तस्वीरें एकत्रित करता है, जिससे पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित दावा मूल्यांकन संभव होता है।
- **WINDS (Weather Information and Network Data Systems):** मौसम आधारित फसल बीमा के लिए स्थानीय स्तर (Hyper-local) का मौसम डेटा उपलब्ध कराकर जोखिम आकलन एवं दावा निपटान को अधिक सटीक बनाता है।
- **स्वचालित मौसम केंद्र (Automatic Weather Stations–AWS):** वास्तविक समय (Real-time) का मौसम डेटा उपलब्ध कराकर मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करते हैं।
- **मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile Applications):** किसानों को बीमा योजनाओं में पंजीकरण, फसल क्षति की सूचना देने, जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करने, दावा स्थिति जानने तथा वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **GPS एवं GIS प्रौद्योगिकी:** खेतों का सटीक मानचित्रण, फसल पहचान तथा स्थान-विशिष्ट निगरानी द्वारा बीमा प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाती हैं।
- **बिग डेटा एनालिटिक्स (Big Data Analytics):** प्रीमियम निर्धारण, जोखिम पूर्वानुमान, नीति निर्माण तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।

भारत में कृषि बीमा की उभरती प्रवृत्तियाँ एवं भविष्य की संभावनाएँ

भारत में कृषि बीमा पारंपरिक मुआवजा व्यवस्था से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी-संचालित, किसान-केंद्रित तथा जलवायु-सहिष्णु (Climate-Resilient) जोखिम प्रबंधन प्रणाली के रूप में विकसित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों में हो रही तीव्र प्रगति ने बीमा उत्पादों की संरचना एवं सेवा वितरण प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, बिग डेटा एनालिटिक्स तथा मौसम आधारित बीमा मॉडल जोखिम आकलन को अधिक वैज्ञानिक बना रहे हैं, दावा निपटान को तेज कर रहे हैं तथा

पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं। सरकार की निरंतर नीतिगत सहायता एवं आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग से भविष्य में कृषि बीमा किसानों की आय सुरक्षा, जलवायु जोखिमों से सुरक्षा तथा सतत कृषि विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत में कृषि बीमा की उभरती प्रवृत्तियाँ

- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) एवं मोबाइल एप्लीकेशनों के माध्यम से बीमा सेवाओं का तीव्र डिजिटलीकरण।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग फसल निगरानी, उपज पूर्वानुमान तथा धोखाधड़ी की पहचान के लिए।
- ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी एवं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वास्तविक समय में फसल स्वास्थ्य की निगरानी एवं क्षति का सटीक आकलन।
- मौसम सूचकांक (Weather Index) एवं पैरामीट्रिक बीमा (Parametric Insurance) उत्पादों का विस्तार, जिससे त्वरित एवं वस्तुनिष्ठ दावा निपटान संभव हो सके।
- बिग डेटा एनालिटिक्स एवं GIS तकनीकों का उपयोग वैज्ञानिक जोखिम आकलन एवं प्रीमियम निर्धारण के लिए।
- पारदर्शिता बढ़ाने हेतु जियो-टैगिंग एवं मोबाइल आधारित दावा रिपोर्टिंग का बढ़ता उपयोग।
- नवाचारपूर्ण बीमा समाधान विकसित करने में एग्रीटेक (AgriTech) स्टार्टअप्स एवं इंश्योरटेक (InsurTech) कंपनियों की बढ़ती भागीदारी।
- बीमा कवरेज का विस्तार केवल फसलों तक सीमित न रहकर पशुधन, मत्स्य पालन, बागवानी एवं कृषि परिसंपत्तियों तक।
- सरकार, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर बीमा की पहुँच में वृद्धि।
- स्थानीय फसल प्रणालियों एवं क्षेत्रीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित एवं क्षेत्र-विशिष्ट बीमा उत्पादों का विकास।

भारत में कृषि बीमा की भविष्य की संभावनाएँ

- सभी पात्र किसानों, विशेषकर पट्टेदार एवं बटाईदार किसानों तक सार्वभौमिक बीमा कवरेज सुनिश्चित करना।
- पूर्णतः डिजिटल एवं स्वचालित मूल्यांकन प्रणालियों के माध्यम से तेज, पारदर्शी एवं समयबद्ध दावा निपटान।
- जलवायु-स्मार्ट कृषि को कृषि बीमा के साथ एकीकृत कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति किसानों की सहनशीलता बढ़ाना।
- बीमा योजनाओं को संस्थागत ऋण एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों से जोड़कर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना।
- विस्तार सेवाओं एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों में बीमा जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता बढ़ाना।
- विभिन्न कृषि उद्यमों के लिए सस्ती, लचीली एवं अनुकूलित बीमा योजनाओं का विकास।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership–PPP) को मजबूत बनाकर बीमा सेवाओं की दक्षता, नवाचार एवं पहुँच में वृद्धि।
- बीमा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने तथा शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु नीतिगत सुधार।
- विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देते हुए किसानों की आय को स्थिर बनाना, सतत कृषि विकास को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण आजीविका को अधिक सुदृढ़ एवं जलवायु-सहिष्णु बनाना।

ग्रामकवर: ग्रामीण इंश्योरटेक की एक सफल कहानी

ग्रामकवर (GramCover) भारत की अग्रणी ग्रामीण इंश्योरटेक कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2017 में ग्रामीण भारत के लोगों तक बीमा सेवाओं को सुलभ, किफायती एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। यह कंपनी डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बीमा कंपनियों, बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों

(MFIs), कृषि व्यवसायों (Agri-businesses), फिनटेक कंपनियों तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओं का विस्तार कर रही है।

ग्रामकवर अपने प्रौद्योगिकी-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फसल बीमा, पशुधन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म बीमा पॉलिसी पंजीकरण, प्रीमियम भुगतान तथा दावा निपटान की प्रक्रियाओं को सरल एवं सुगम बनाता है। कागजरहित (Paperless) एवं पारदर्शी बीमा सेवाओं को बढ़ावा देकर ग्रामकवर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुँच को बढ़ाया है, साथ ही परिचालन लागत एवं दावा निपटान में लगने वाले समय को भी कम किया है। इसकी सफलता इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि इंश्योरटेक (InsurTech) किस प्रकार कृषि बीमा प्रणाली को अधिक समावेशी, प्रभावी एवं किसान-केंद्रित बनाकर जलवायु-सहिष्णु कृषि तथा सतत ग्रामीण विकास को सुदृढ़ कर सकता है।

ग्रामकवर की प्रमुख विशेषताएँ

- वर्ष 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित।
- मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित।
- फसल, पशुधन, स्वास्थ्य, मोटर तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सेवाएँ प्रदान करता है।
- किसानों एवं बीमा सेवाओं से वंचित ग्रामीण समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।
- बीमा कंपनियों, बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs), कृषि व्यवसायों, फिनटेक कंपनियों तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ साझेदारी में कार्य करता है।
- डिजिटल माध्यम से पॉलिसी पंजीकरण, प्रीमियम भुगतान एवं दावा निपटान की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- कागजरहित, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित बीमा सेवाओं को बढ़ावा देता है।
- स्थानीय साझेदार नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुँच (Insurance Penetration) को बढ़ाता है।
- वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने में योगदान देता है।
- यह दर्शाता है कि डिजिटल नवाचार कृषि जोखिम प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाकर भारत में बीमा सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

कृषि बीमा किसानों को जलवायु, जैविक एवं बाजार संबंधी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने तथा कृषि क्षेत्र की सहनशीलता (Agricultural Resilience) को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार की विभिन्न पहल, आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा ग्रामकवर जैसे उभरते इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म बीमा सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बना रहे हैं। भविष्य में सरकार, बीमा कंपनियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बीच निरंतर सहयोग से बीमा कवरेज का और अधिक विस्तार होगा, किसानों की आय सुरक्षा मजबूत होगी तथा जलवायु-सहिष्णु कृषि, सतत ग्रामीण विकास एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि बीमा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी।